रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1978/माघ 14, 1899
No. 49] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1978/MAGHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1978

का० आ० 63(अ) —सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) के अधीन गठित बोर्ड, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन 1 नवम्बर, 1966 की और से, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए, उन क्षेत्रों में जिनमें वह इस तारीख से तुरन्त पूर्व कार्यरत था, कार्य करता रहेगा जब तक कि उक्त बोर्ड की बाबत विधि द्वारा कोई अन्य उपबन्ध न किया जाए ,

और उक्त धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी होगा कि उक्त बोर्ड को नियंत्रित करने वाली किसी विधि का, उस बोर्ड को लागू होने के संबंध में, प्रभाव ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए होगा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए गए हो ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 72 की उपधारा (2) और (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) का प्रभाव, निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से होगा, अर्थात्:—

1 धारा 2 में,—

(i) खण्ड (6) में, राज्य सरकार द्वारा, शब्दों का लोप किया जाएगा ,

(ii) खण्ड (17) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् —

(17) "आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन" से यथास्थिति पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार अथवा प्रशासक चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थित अधिसूचित सिख गुरुद्वारों के लिए गठित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की बाबत आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन के कर्तव्यों का पालन करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है ,

(17क) "मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन" से धारा 47क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ।

2 धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"47क. बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन में निहित होगा—

(1) बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए और निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन में निहित होगा, जो अपने ऐसे कृत्य, जो वह आवश्यक समझे, संबंधित आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन के माध्यम से पूरा कराएगा ।

(2) पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार, अथवा प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़, जब भी मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन, अपेक्षा करे तब उसे या संबंधित आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन को ऐसे कर्मचारिवृन्द तथा अन्य प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझी जाए ।"

3. धारा 45क की उपधारा (2), धारा 44 की उपधारा (2), धारा 47 और 51 और धारा 62 की उपधारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 146 में,—

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां वे दो स्थानों पर आए हैं, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उन नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं जो तत्पश्चात् वे ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वे निष्प्रभाव हो जाएंगे। किन्तु नियमों के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

5. धारा 147 में,—

(1) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे,

(2) "नियुक्त अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० एस-13013/1/75-एस० आर०]

महेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1978

S.O. 63(E).—Whereas under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Board constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government until other provision is made by law in respect of the said Board ;

And whereas under sub-section (2) of the said section 72, any such direction may include a direction that any law by which the said Board is governed shall, in its application to that Board, have effect, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the direction ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of the said section 72, the Central Government hereby directs that the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) shall have effect, as from the date of issue of this notification, subject to the following further modifications, namely:—

1. In section,—

(i) in clause (6), the words "by the State Government" shall be omitted ;

(ii) for clause (17), the following clauses shall be substituted, namely :—

'(17) "Commissioner, Gurdwara Elections" means the officer appointed by the Government of the State of Punjab, Haryana or Himachal Pradesh or the Administrator of the Union territory of Chandigarh, as the case may be, to perform the duties of the Commissioner, Gurdwara Elections in relation to the election of members of Committees constituted for the Notified Sikh Gurdwaras located within the State or the Union territory;

(17A) "Chief Commissioner, Gurdwara Elections" means the officer appointed by the Central Government under section 47A.'.

2. After section 47, the following section shall be inserted, namely :—

"47A. Superintendence, direction and control of election of members of the Board to be vested in the Chief Commissioner, Gurdwara Elections—

(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, election of members of the Board shall be vested in the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, who may perform such of his functions as he may consider necessary through the Commissioner, Gurdwara Elections concerned.

(2) The Government of the State of Punjab, Haryana or Himachal Pradesh or, the Administrator of the Union territory of Chandigarh, shall, when so required by the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, make available to him or to the Commissioner, Gurdwara Elections concerned, such staff and other facilities as may be considered necessary for the performance of the functions of the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, under this Act.".

3. In sub-section (2) of section 43A, sub-section (2) of section 44, sections 47 and 54 and in sub-section (2) of section 62, for the words "State Government" the words "Central Government" shall be substituted.

4. In section 146,—

(i) for the words "State Government" in both the places where they occur, the words "Central Government" shall be substituted;

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(3) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

5. In section 147,—

(i) for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted ;

(ii) for the words "the Tribunal appointed" the words "the High Court" shall be substituted.

[No. S-13013/1/75-SR]

MAHESHWAR PRASAD, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978